अध्याय - IV कार्य एवं सैन्य अभियंता सेवाएँ

4.1 गैरीसन इंजीनियर कैम्पटी द्वारा जल-प्रभार का भुगतानाधिक्य

दोषपूर्ण वाटर-मीटर की मरम्मत/प्रतिस्थापित करने तथा जैसा कि अनुबंध में प्रावधान था गत-औसत-उपभोग के आधार पर बिलों के भुगतान को नियमित करवाने में जी.ई. कैम्पटी की विफलता से नागपुर नगर निगम को ₹ 4.70 करोड़ का भुगतानाधिक्य हुआ ।

नागपुर नगर निगम (एनएमसी) द्वारा कैम्पटी छावनी को जल की थोक आपूर्ति के लिए नियम एवं शर्तो जैसा कि सैन्य इंजीनियर सेवाओं (एमईएस) के लिए विनियमावली में प्रावधान के अनुसार है एमईएस तथा एनएमसी के बीच किए गए एक अनुबंध द्वारा नियमित होती है। अनुबंध के नियम एवं शर्तो के अनुसार एनएमसी उपभोक्ता के खर्चे पर आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्तिग्राहय स्थल पर स्थापित एक ईलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहाव मीटर द्वारा मापी गई जल आपूर्ति की मात्रा के लिए एमईएस (गैरीसन इंजीनियर कैम्पटी द्वारा प्रतिनिधित्व) को बिल देगा । मीटर का स्वामित्व एवं रखरखाव का दायित्व जी.ई. का था । मीटर के खराब होने की अवस्था में प्रभार्य जल की मात्रा गत वर्ष की समान अवधि के दौरान आकलित औसत उपभोग के आधार पर होनी थी।

हमने पाया (जनवरी 2010) कि कैम्पटी छावनी में जल मीटर सितम्बर 2004 से निष्क्रिय हो चुका था, जीई द्वारा प्रति माह 2,13,225 से 2,68,375 युनिटों (एक यूनिट 1000 लीटर के समान) के बीच की मात्राओं के लिए जल की आपूर्ति हेतु भुगतान किया गया था क्योंकि एनएमसी द्वारा औसत उपभोग आधार पर भुगतान विनियमित करने के बजाए जल प्रवाहित घंटो के आधार पर बिल विनियमित किए गए थे । सितम्बर 2003 से अगस्त 2004 तक गत वर्ष के दौरान औसत मासिक आपूर्ति 2,06,466 यूनिट थीं । जनवरी 2011 में नये मीटर की स्थापना के उपरांत, आपूरित जल की मात्रा इस औसत से भी कम पाई गई, ये यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एनएमसी द्वारा अधिक बिलिंग प्रमाणित होती रही।

जीई ने सितम्बर 2004 से जनवरी 2011 तक की दीर्घावधि के मध्य मीटर का मरम्मत/प्रतिस्थापन नही करवाया यद्यापि मीटर के मरम्मत/रखरखाव उसका दायित्व था। जीई से जुड़े लेखापाल, प्राथमिक लेखापरीक्षक एवं वित्तीय सहायक के रूप में कार्यरत रक्षा लेखा विभाग के सहायक लेखा अधिकारी भी छः वर्षो से अधिक समय में बिलिंग की अनियमितता को इंगित करने में विफल रहे । अनुबंध के अनुरूप भुगतान के अनियमितिकरण के कारण से सितम्बर 2004 से मार्च 2011 तक की अवधि के मध्य एनएमसी को किया गया भुगतानाधिक्य ₹4.70 करोड़ के लगभग था ।

इस प्रकार, दोषपूर्ण जल-मीटर की मरम्मत/प्रतिस्थापन करने तथा औसत-उपभोग के आधार पर बिलों के भुगतान को नियमित करवाने में जी.ई. की विफलता के परिणामस्वरूप एनएमसी को ₹4.70 करोड़ का भुगतानाधिक्य हुआ

मामला मंत्रालय को फरवरी 2012 में भेजा गया उनका उत्तर जुलाई 2012 तक प्रतीक्षित था।

4.2 गैरीसन इंजीनियर, हिसार द्वारा जल-प्रभार का अधिक भुगतान

राज्य सरकार द्वारा सैन्य अभियंता सेवाओं के गलत वर्गीकरण के कारण "सैन्य अभियंता सेवा" ने हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा लगाए गए जल-प्रभार के अंतर्गत ₹12.92 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

गैरीसन इंजीनियर (जी.ई.), हिसार पीने तथा धोने के प्रयोजन से "हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग" से पानी लेता है तथा यह पानी हिसार सेना स्टेशन की सैनिक टुकड़ियों और उनके परिवारो में वितरण करता है। हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम 1976 जिसे समयोपरि संशोधित किया जाता रहा है, में दी गई जल दरों की अनुसूची के अनुसार नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्रों और सार्वजनिक निकायों में पीने और धोने के प्रयोजन मे लाने वाली थोक जल की आपूर्ति की दर पर प्रभार्य ₹3 प्रति 6000 घन फीट की दर से किया जाता था। किंतु गैरीसन इंजीनियर द्वारा भुगतान ₹ 5 प्रति 2500 घन फीट से दरों पर किया गया जो हरियाणा सिंचाई विभाग ने "अन्य थोक आपूर्ति" की श्रेणी के लिये निर्धारित थे।

जुलाई 2000 में, हरियाणा सरकार द्वारा पानी की दरो का संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रों में पेय-जल की दरे ₹ 10 प्रति 2500 घन फीट और "अन्य थोक आपूर्ति" की दरे ₹40 प्रति 2500 घन फीट थी। जी.ई. ने संशोधित दरो के अनुसार, सिंचाई विभाग द्वारा लागू किए गए बिल पर ₹ 40 प्रति 2500 घन फीट का भुगतान किया। अक्तूबर 2007 में, हरियाणा सरकार ने एक बार फिर "अन्य थोक आपूर्ति" की दरों में संशोधन किया जिसमें दरों को ₹40 से ₹ 250 प्रति 2500 घन फीट पर निर्धारित किया गया, हालांकि पेय-जल को ₹10 पर ही रखा गया। जनवरी 2008, में जी.ई. ने पहली बार, अभियंता अधीक्षक, सिंचाई विभाग, हिसार से इस मामले का स्पष्टीकरण मांगा कि ₹250 की दर रक्षा विभाग पर लागू करना ठीक है क्योकि पानी की उपयोग पीने के उद्देश्य से की गई थी न कि औद्योगिक प्रयोजन के लिए। प्रतिक्रिया में, सिंचाई विभाग द्वारा सूचित किया गया कि ₹250 की दरें थोक उपभोक्ताओं पर लागू है। जी.ई. मामले को उच्च स्तर तक नहीं ले गए तथा उच्च दरों पर बिलों का भुगतान करना जारी रखा। उन्होने हरियाणा के अन्य मिलिट्री स्टेशनों की स्थिति का भी पता नहीं किया जबकि अंबाला छावनी ₹ 10 प्रति 2500 घन फीट के दर से पेय- जल का भुगतान कर रहा था।

हमने (दिसम्बर 2010) पाया कि जी.ई. के द्वारा जल शुल्क का भुगतान औद्योगिक एवं अन्य थोक उपयोगकर्ता की दरों पर किया जा रहा था जबकि वह जल केवल पीने के प्रयोजन से निकाल रहे थे, हालांकि हरियाणा से अन्य स्टेशनों के सिविल विभाग एवं सैन्य अभियंता सेवा (एम.ई.एस.) ₹ 10 प्रति 2500 घन फीट पर "पीने के प्रयोजन" से जल शुल्क का भुगतान कर रहे थे। यद्यपि एम.ई.एस. के कमांडर कार्य अभियंता हिसार ने (मई 2011) यह सूचना दी कि मामले को राज्य सिंचाई विभाग के सम्मुख ले जाया गया है किन्तु यह स्पष्ट था कि मामले को राज्य सरकार के साथ प्रभावी ढंग से नहीं रखा गया। यहाँ तक कि जी.ई. के साथ जुड़े रक्षा लेखा विभाग के सहायक लेखा अधिकारी जोकि भुगतान से पहले बिलों का सूक्ष्म निरीक्षण करने के लिए एवं जी.ई. के लिए प्रमुख लेखापरीक्षक और वित्तीय सहायक की भूमिका निभाने के लिए उत्तरदायी है वह भी जी.ई. को इस अविवेकपूर्ण रूप से शुल्कों का भुगतान करने से सावधान करने में असफल रहे जोकि उनके मामले में लागू नहीं होता था। इसके परिणामस्वरूप सितम्बर 2004 से जनवरी 2012 के दौरान हरियाणा सरकार को ₹12.92 करोड़ का भुगतानधिक्य किया गया।

मंत्रालय ने मई 2012 में कहा कि हरियाणा सिंचाई विभाग ने हिसार सैन्य स्टेशनों के 26 उपयोगकर्ता श्रेणियों में से केवल 6 को "पेय प्रयोजन श्रेणी" में माना था जबकि अन्य को "अन्य थोक आपूर्ति श्रेणी" में रखा गया था। उन्होंने आगे कहा कि जयपुर क्षेत्र के प्रमुख अभियंता ने अक्तूबर 2011 में हरियाणा सिंचाई विभाग को कहा था कि हिसार के सभी 26 श्रेणियों में जल की खपत पीने के प्रयोजन से ही हुई थी एवं इस मामले को मुख्यमंत्री के साथ आगे परिचर्चा के लिए सिविल सैन्य संपर्क सम्मेलन हरियाणा में उठाया जोकि अभी होना था (मई 2012)। जी.ई. अपने सैन्य टुकड़ी की जल आपूर्ति में होने वाली रूकावट को रोकने के लिए बिल किए हुए दर शुल्कों पर भुगतान करते रहे।

इस मामले को हमारे द्वारा बताए जाने के बाद ही मुख्य अभियंता द्वारा मामले को राज्य सरकार के उच्च स्तर के अधिकारियों तक ले जाने का तथ्य हमारी इस टिप्पणी पर जोर देता है कि मामले को प्रभावशाली ढंग से राज्य सरकार के आगे कार्यान्वयन नहीं किया गया था, इसके बावजूद की हरियाणा राज्य की दूसरी छावनियों के बिलों से तुलना करने पर इनमें भिन्नता स्पष्ट थी। मंत्रालय मामले को पुरजोर ढंग से राज्य सरकार के सम्मुख ले जाए ताकि हिसार सैन्य स्टेशन के लिए जल शुल्कों का उचित दरों पर आवेदन दिया जाए एवं रक्षा सेवाओं के लिए आबंटित कोष से लगातार हो रहे बर्बादी को रोका जा सके।

4.3 घटिया बंकरों का निर्माण

सेना अभियंता सेवाओं के कार्यपालक अभियंताओं एवं निरीक्षण अधिकारियों द्वारा मिट्टी की अपर्याप्त जाँच और उचित निगरानी के अभाव के परिणामस्वरूप घटिया बंकरों का निर्माण ₹ 7.61 करोड़ की लागत से किया गया जो गोलाबारूद के सुरक्षित भंडारण के लिए अयोग्य था। बंकरों को उनके निर्माण के पूरे होने के तीन वर्षों के पश्चात् भी लगातार त्रुटिपूर्ण पाया गया।

सेना अभियंता सेवाओं (से.अ.स.) के नियम के अनुच्छेद 366 यह उल्लेख करता है कि गैरिसन अभियंता (दु.अ.) को कार्य प्रगति का निरीक्षण अपने प्रभाग के तहत जितना संभावित हो, करना चाहिए विशेषतया ठेकेदारों से लेने से पहले। उसी प्रकार से अनुच्छेद 367 यह उल्लेख करता है कि मुख्य अभियंता (मु.अ.) और कमांडर कार्य अभियंता (क.क.अ.) को कार्य प्रगति की समय-समय पर जाँच/निरीक्षण करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य का क्रियान्वयन उसमें उच्च स्तर की सामग्री एवं कारीगरों इत्यादि का उचित प्रयोग अनुमोदित योजना के अनुसार हो रहा है।

हमने सुंदरबेनी में एक ऐसा मामला देखा जिसमें 10 'सतह के ऊपर के बंकरों', एक 'गोलाबारूद शेड' और संबंधित बुनियादी ढांचे आदि का निर्माण कार्य शामिल है, जो संबंधित अभियंता प्राधिकारियों द्वारा उचित निगरानी के अभाव का और जीई के द्वारा जल्दबाजी में दिए गए पूर्णता प्रमाणपत्र को दर्शाता है जिसमें उपयोगकर्ता यूनिट द्वारा लगातार बताए गए दोषों को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज किया गया।

निर्माण कार्य जो सेना मुख्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया था, को सीई उधमपुर जोन (सी.ई.यू.जेड) द्वारा अक्तूबर 2006 में एक निजी फर्म को ₹ 6.72 करोड़ की लागत पर मई 2009 तक निष्पादित करने के लिए दिया गया। जीई (उत्तर) जिनकी निगरानी के तहत कार्य का प्रारम्भ हुआ, ने एक संतोषजनक पूर्णता प्रमाणपत्र ठेकेदार को जारी (मई 2009) किया, जबकि उपयोगकर्ता आयुद्ध यूनिट ने लगातार विभिन्न दोषों को उजागर किया था जो निर्माण

कार्य में आ रहे थे। उपयोगकर्ता द्वारा लगातार जीई को त्रुटियों के सुधार हेतु अनुस्मारक भेजे गए किन्तु कोई परिणाम हासिल नहीं हुआ जबकि यहाँ तक की बंकरों में से एक की सामने की रिटेनिंग दीवार अगस्त 2010 में ध्वस्त भी हो गई थी।

अधिकारियों के एक तकनीकी बोर्ड जिन्होंने (सितम्बर 2010) एकत्र होकर त्रुटियों के कारणों की जाँच की और पाया कि मिट्टी की दोषपूर्ण जाँच, नींव की कम गहराई, नींव का कमजोर मिट्टी से बनना, अपर्याप्त निकास और दोषपूर्ण वाटरप्रूफिंग आदि इन त्रुटियों के कारण थे और इसके लिए कार्यपालक अभियंताओं एवं निरीक्षण अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया। यह भी अनुभव किया गया कि ठेकेदारों ने साइट आदेशों जो उन्हें एम.ई.एस. के प्रतिनिधियों द्वारा दिसंबर 2007 से सितंबर 2008 के दौरान दिए गए थे, का भी अनुपालन नहीं किया। चूँकि जीई ने मई, 2009 में कार्य की पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया था, इसलिए ठेके की त्रुटि उत्तरदायित्व की समय सीमा मई 2010 में पहले ही समाप्त हो चुकी थी। मिट्टी की गहन जाँच और पुनः रूपरेखा के पश्चात् बोर्ड ने क्षतिग्रस्त हुई रिटेनिंग दीवार को ढ़हाने और उसके पुनः निर्माण की सिफारिश की। मार्च 2011 में जीई ने कार्य करने के लिए ₹ 7.61 करोड़ की राशि बुक की थी। रिटेनिंग दीवार के क्षतिग्रस्त भाग को ठीक करवाने और इससे संबंधित कार्य को करवाने, बंकरों के चारों तरफ जल अवरोधकों/जल निकास हेतु जो मूल्य (अगस्त 2011) ₹4.95 करोड़ अनुमानित किया गया था, उसकी स्वीकृति पाना अभी भी शेष है। (मई 2012)।

मंत्रालय ने मिट्टी की दोषपूर्ण जाँच, नींव की कम गहराई, दोषपूर्ण वाटरप्रूफिंग आदि से हुई त्रुटियों/ढाँचों के ढहने की बात को स्वीकार किया (मई 2012) और साथ ही जाँच न्यायालय (सी.ओ.आई.) द्वारा मूल्यांकित हानि को ₹ 1.77 करोड़ बताया। उन्होने इस बात की भी पुष्टि की कि जाँच न्यायालय द्वारा संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारियों की पुष्टि कर दी गई थी तथा उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करवाई की जा रही थी।

यह घटना सेना अभियंता सेवा में आंतरिक नियंत्रण की प्रभावहीनता को रेखांकित करती है। एम.ई.एस. के भीतर कई स्तरों में की जाने वाली जाँच फारवार्ड क्षेत्र में एक बंकर जैसी संवदेनशील सुविधा के घटिया निर्माण को रोकने में निष्प्रभावी सिद्ध हुई थी जबकि पूरी निर्माण अवधि के दौरान उपयोगकर्ता ने समय-समय पर अपने भय/विषमता को प्रदर्शित किया था। यह वास्तव में एक गहन चिंता का विषय है और जिन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियों को स्वेच्छा से नजरअंदाज किया है, उनके खिलाफ आधिकारिक कार्यवाही की जानी चाहिए।

हम सिफारिश करते है कि:-

(i) उन दोषी अधिकारियों जिन्होंने कार्य की गुणवत्ता संबंधी मिल रही शिकायतों के बावजूद संतोषजनक पूर्णता प्रमाणपत्र जारी कर दिया, के विरूद्ध शीघ्र ही अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

(ii) त्रुटियों को शीघ्र सुधारा जाए जिससे उपयोगकर्ता यूनिट बंकरों का प्रयोग गोलाबारूद के सुरक्षित भंडारण के लिए कर सके।

4.4 ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान

अनुबंध स्वीकृति अधिकारी का गलत निर्णय कि कंक्रीट मिश्रण में अधिमिश्रण के इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा जिसके लिए अनुबंध में पहले से ही प्रावधान था, के कारण, ठेकेदार को एक गोलाबारूद डिपो के कार्य के संबंध में ₹ 1.25 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

रक्षा मंत्रालय ने (मार्च 2004) एक गोला-बारूद डिपो पर गोला-बारूद शेड एवं सम्बन्धित कार्यों के लिए ₹ 58.84 करोड़ की अनुमानित लागत पर स्वीकृति प्रदान की। चीफ इंजीनियर (सी.ई.) कोलकाता जोन ने इस कार्य के लिए एक फर्म के साथ (जुलाई, 2005) ₹ 44.79 करोड़ का एक अनुबंध स्वीकार किया। इस कार्य के प्रारंभ एवं पूरा होने की तारीख क्रमशः 06 अक्तूबर 2005 एवं 05 जनवरी 2008 थी। यह कार्य वास्तविक तौर पर 05 मार्च 2011 को पूरा हुआ।

हमारी जाँच (अगस्त 2009) से पता चला कि अनुबंध के अनुसार सीमेंट कंक्रीट का मिश्रण और समेकन आई.एस-456: 2000 के तहत, एक बैचिंग प्लांट जोकि गोला-बारूद डिपो से बाहर स्थित था, से प्राप्त मिश्रण को, 20 मिनट के भीतर निर्माण कार्य में प्रयोग होना चाहिए था। आई.एस-456: 2000 की धारा 10.3.3 के तहत यह प्रावधान है कि कंक्रीट मिश्रण में अधिमिश्रण (रिटार्डरस/प्लास्टिसाइजर्स/सुपर प्लाास्टिसाइजर्स) का उपयोग हो।

ठेकेदार ने सीमेंट कंक्रीट को निर्धारित समय में पम्प करने के लिए सीमेंट कंक्रीट पम्प के उपयोग के बारे में अभियंताओं को (04 अक्तूबर 2005) सूचित किया। इसके साथ ही, अधिमिश्रण के कंक्रीट में अतिरिक्त भुगतान के आधार पर उपयोग के लिए भी मंजूरी मांगी। हालांकि कमांडर वर्क्स इंजीनियर्स (सी.डब्ल्यू.ई.) ने यह राय व्यक्त की (25 अक्तूबर 2005) कि अधिमिश्रण का कंक्रीट में इस्तेमाल आवश्यक नहीं है और केवल सीमेंट कंक्रीट पम्प के उपयोग की संस्तुति दी, फिर भी सी.ई. ने प्लास्टिसाइजर[10] का सभी कंक्रीट मिश्रणों में उपयोग के लिए अपना अनुमोदन दिया (26 अक्तूबर 2005)। गैरीसन अभियंता (जी.ई.) ने स्वीकृति अधिकारी के इस निर्णय की सूचना कि प्लास्टिसाइजर का उपयोग सभी कंक्रीट मिश्रणों में हो, तुरंत ही (27 अक्तूबर 2005) ठेकेदार को दे दी। सी.डब्ल्यू.ई. के इस सुझाव (3 नवम्बर 2005) कि मिश्रणों का उपयोग तकनीकी/कार्यात्मक रूप में लाभप्रद साबित नहीं होगा तथा इससे काफी अधिक निष्फल व्यय होगा, को सी.ई. ने पुनः (16 नवम्बर 2005) नकार दिया। सी.ई. ने डिविऐशन आर्डर (डी.ओ.) के मसौदे को प्रस्तुत करने के आदेश दिए, साथ ही, सिद्धांत रूप में (ए.आई.पी.) प्रोफार्मा एवं स्टार रेटस् के मसौदे को अनुमोदन दिया ताकि प्लास्टिसाइजर के कंक्रीट में इस्तेमाल का भुगतान हो सके। तदनुसार, सी.डब्ल्यू.ई. ने प्लस डी.ओ. ₹ 1.37 करोड़ के साथ स्टार रेटस् का मसौदा जोकि ठेकेदार को स्वीकार्य था, सी.ई. की स्वीकृति के लिए (फरवरी, 2006) प्रस्तुत किया।

डी.ओ. के प्रस्तुत करने के उपरान्त, सी.ई. जिन्होंने पुराने सी.ई. के स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया था, ने प्लस डी.ओ. की स्वीकार्यता को अस्वीकार कर दिया और पिछले अवलंबी फैसले को इस आधार पर पलट दिया कि विनिर्देशों के आधार पर (आई.एस.456:2000) जोकि

[10] प्लास्टिसाइजर एक रासायनिक मिश्रण है जो व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए कंक्रीट मिश्रण में डाला जा सकता है। यह आमतौर पर अंतिम उत्पाद के बाद की कठोरता के गुणों को प्रभावित नहीं करता।

आमंत्रित निविदा नोटिस में उल्लिखित था, के तहत ही ठेकेदार ने निविदा प्रस्तुत की थी और उसके आधार पर प्लास्टिसाइजर का प्रावधान जहाँ भी आवश्यक था, ठेकेदार द्वारा उद्धत और अनुबंध में विनिर्दिष्ट दर में शामिल था (अगस्त, 2006)। ठेकेदार ने निर्णय के विरूद्ध अपना विरोध दर्ज कराया और कार्य के लिए अतिरिक्त भुगतान के लिए अंतरिम मध्यस्थता की माँग की (सितम्बर, 2006)। इंजीनियर-इन-चीफ (ई.एन.सी.) थलसेना मुख्यालय ने एक आरबीट्रेटर की नियुक्ति (नवम्बर, 2008) में की जिन्होंने अपना निर्णय (अगस्त, 2009) ठेकेदार के पक्ष में यह कहते हुए दिया कि स्वीकृति अधिकारी की नवम्बर/दिसम्बर, 2005 की स्वीकृति में निहित ठेकेदार प्लास्टिसाइजर की लागत के लिए अतिरिक्त भुगतान साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9 प्रतिशत के साथ प्राप्त करने का हकदार था।

चूंकि, यह जिम्मेदारी ठेकेदार की थी कि कंक्रीट की मंदी को बढ़ाया जाए चाहे पानी और सीमेंट की मात्रा को बढ़ाकर अथवा प्लास्टिसाइजर का इस्तेमाल करके ताकि अपेक्षित विनिर्देश प्राप्त किए जा सके। सी.ई. के निविदा स्वीकृति अधिकारी के तौर पर गलत निर्णय (नवम्बर 2005) कि उक्त कार्य में प्लास्टिसाइजर का इस्तेमाल अतिरिक्त भुगतान पर होगा, जिसके कारण ठेकेदार को ₹1.25 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ और सेना अभियंता सेवा (एम.ई.एस.) का मामला मध्यस्थता के दौरान कमजोर हुआ। परिणामस्वरूप इस कार्य पर ₹1.25 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ (₹13.46 लाख अतिरिक्त ब्याज सहित)।

मंत्रालय ने (जून 2012) कहा कि इस व्यय को निष्फल घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि प्लास्टिसाइजर अंतिम उत्पाद के गुणों को परिवर्तित किए बिना उसकी कार्यक्षमता को बढ़ावा देता है। यह उत्तर तर्कपूर्ण नहीं है क्योंकि ठेकेदार स्वीकार किए गए अनुबंध दरों के अंतर्गत अनुबंधित विनिर्देश को ध्यान में रखते हुए कार्य को निष्पादित करने के लिए बाध्य था। सी.ई. ने डी.ओ. के द्वारा अतिरिक्त प्लास्टिसाइजर के भुगतान की स्वीकृति देकर ठेकेदार को परिहार्य अधिक संविदात्मक भुगतान के लिए प्रतिबद्ध था। सी.ई. ₹ 1.25 करोड़ का राजकोष के लिए यह दोषपूर्ण अतिरिक्त बोझ के भुगतान के लिए प्रतिबद्ध होगा, सी.ई. की सहदोषता के कारण एक चिंता का विषय है।